फाइल नं0-71-3099/15/2021-03

135/2022/I/219447/2022

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 28 सितम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजना ''इस्टेब्लिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद अमेठी के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी बनाए जाने हेतु शासनादेश संख्या-114/2021/ई-1730472/71-03-2021-एन0एम0-20/2019, दिनॉक 09.09.2021 द्वारा रू0 292.5668 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि रू0 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त् की गई। तदोपरान्त शासनादेश दिनॉक 03.02.2022 द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0 30.00 करोड़ एवं शासनादेश दिनॉक 28.03.2022 द्वारा रू0 50.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 100.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र दिनॉक 19.08.2022 द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की दिनांक 26.08.2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत **रू0 301.1244 करोड़ (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत) (रू0 तीन अरब एक करोड बारह लाख चौवालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022 TRU दिनॉक 03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनॉक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है, जिसके दृष्टिगत समिति द्वारा 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि परियोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या/2019/19-बी2019-10/615-2-, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019द्वारा रू 50.00 0 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी 0मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी 0मोड/बिडिंग की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
4. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई 0मानक के अनुसार Letter of priority के आधार पर फेजवार किया जाय।
7. प्रायोजना में प्रस्तावित मेडिकल उपकरण एवं फर्नीचर हेतु प्रस्तावित रू 2900.00 0लाख को अनुमन्य किया गया है एवं प्रायोजना का क्रियान्वयन ईमोड पर किया जाना है। 0सी0पी0 अत कार्यदायी संस्था :उक्त कार्यमदों का क्रय आवश्यकतानुसार एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया जायेगा। बिडिंग की लागत में यह लागत सम्मिलित नहीं होगी।
8. प्रायोजनान्तर्गत सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, डी0जी 0सेट एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडुलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0एस0डी 0उपकरण, लान्ड्री उपकरण, किचेन उपकरण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, इ0पी0बी0एक्स का प्राविधान किया गया है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करे। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं के यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन - सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07-06-2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित नोडल प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
14. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
15. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
16. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
17. शासनादेश संख्या-114/2021/ई-1730472/71-03-2021-एन0एम0-20/2019, दिनॉक 09.09.2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-271/दस-2022-23, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्याः-उपरोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग।
6. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, अमेठी।
10. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. नियोजन अनुभाग-4
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।